न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 23/2013
आरसीएमएस संख्या :–2013/00095

उनवान

बृजेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
2. हाकिम सिंह (मृतक)
   2/1. मुन्नी वेवा हाकिम सिंह
   2/2. रामपाल
   2/3. श्यामपाल सिंह
   2/4. प्रेमपाल सिंह
   2/5. विजयपाल सिंह
   2/6. गंगा सिंह
   } पुत्रगण हाकिम सिंह जाति ठाकुर निवासी दौरदा तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
   2/7. गुड्डी पुत्री हाकिम सिंह पत्नि शैलेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवसी पुराना बिजलीघर भरतपुर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 24.10.2013 प्र.सं 160/10 उनवानी बृजेन्द्र सिंह बनाम महेन्द्र सिंह।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुभाष चन्द शर्मा उपस्थित

निर्णय दिनांक–09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 24.10.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में स्थित है।

जिसमें प्रार्थी/अपीलाण्ट 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। उक्त विवादित आराजीयात एक ही हिन्दू परिवार की अविभाजित आय से अर्जित सम्पत्ति है तथा प्रार्थी/अपीलाण्ट एवं अप्रार्थी/रैस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य हैं विवादित आराजी का हम पक्षकारो के पूर्व पुरूष रामप्रसाद ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त जायदाद का विभाजन आज से करीब 65 साल पूर्व कर दिया था एवं तभी से प्रार्थी/अपीलाण्ट एवं अप्रार्थी/रैस्पो0 विवादित आरजीयात को शामिल काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु अप्रार्थी/रैस्पो0 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजीयात का इन्द्राज अपने व हाकिम के नाम करवा लिया। प्रार्थी/अपीलाण्ट ने जब अपने हिस्से की आराजी को नाम करवाने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये एवं विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर किसी दीगर शक्स को रहन,वय, मुन्तकिल करने की धमकी देने लगे। यदि अप्रार्थी/रैस्पो0 अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो प्रार्थी/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में किसी एक या दो सदस्यो के नाम होने से अन्य सदस्य जिनके नाम खातेदारी नहीं है कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि एक सदस्य का कब्जा सभी सदयों का माना जाता है। अपीलाण्ट ने अपनी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह साबित किया है कि वह संयुक्त परिवार का सदस्य है और आराजी मुतनाजा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 ने अपने जवाव में यह कतई स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें विवादित आराजी अकेले किस प्रकार प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान ना देते हुये, सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार कभी नहीं रहा है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। बल्कि रैस्पो0 विवादित आराजीयात पर संवत 2012 से पूर्व ही आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रहे हैं। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने तर्को के समर्थन में एक भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है एवं उनका विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा हो। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की पूर्ण विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पक्षकारो के बीच अधिकारो का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य विवेचना के आधार पर दावे में होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हमे केवल प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं की ओर ही गौर करना है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता संख्या 202 में वर्णित विवादित आराजी में रैस्पो0 खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से, वर्तमान स्थिति में हम विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा उचित नहीं पाते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट का विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया स्वत्व नहीं बनता है। अतः सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति भी अपीलाण्ट/प्रार्थी के पक्ष में ना होकर, रैस्पो0/अप्रार्थी के पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 24.10.2013 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official